

## महाराष्ट्र पुलिस द्वारा पीयूडीआर को बदनाम करने की कोशिश की निंदा

नागरिक अधिकारों के पक्ष में उत्ती आवाजों को कुचलना बंद करो! पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स महाराष्ट्र पुलिस द्वारा पीयूडीआर पर सीपीआई (माओइस्ट) पार्टी का 'फ्रंटल' संगठन होने के दावे की कड़ी निंदा करता है। यह खुलेआम, भारत के एक सबसे पुराने जनवादी संगठन को धमकी देने और उसके काम पर रोक लगाने की कोशिश है।

पीयूडीआर और पीयूसीएल 1977 में आपातकाल की खिलाफ करने और उस समय गिरफ्तार किये गए लोगों की रिहाई में प्रमुख थे। उस समय से पीयूडीआर लोगों के अधिकारों के हनन के मुहूर्त रहा है। इन मुहूर्तों में साप्ताहिक दंगों से लेकर, पुलिस हिरासत में मौत और बलात्कार, गैर-लोकतांत्रिक कानून और मृत्युदण्ड का विरोध, संगठित और असंगठित मजदूरों के अधिकार, फर्जी मूठभेड़, जातिगत दमन और अंतर्जातीय शादियों से लेकर आदिवासियों के विस्थापन शामिल हैं।

पीयूडीआर ने भारत में पीआईएल के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है। 1982 में एशियाड खेलों के मामले में पीयूडीआर की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के मूल अधिकारों के हनन पर कोट में याचिका करने का अधिकार दिया था। पीयूडीआर उन संगठनों में से भी एक है जिनके द्वारा न्यायपालिका में किये गए प्रयासों के कारण पुलिस हिरासत में हुई हत्याओं के लिए मुआवजा मिलने की शुरूआत हुई थी।

जब भी पीयूडीआर की जांच से यह निष्कर्ष निकलता है कि मानवीय अधिकारों का हनन हुआ है, पीयूडीआर सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा करता है, सरकारी विभागों से अपील करता है और न्यायपालिका या एनएचआरसी के दरवाजे खटखटाता है, और एक सार्वजनिक राय बनाने के लिए इनके खिलाफ अभियान चलाता है। पीयूडीआर द्वारा हाल में चलाये गए अभियानों में कामनवेत्त खेलों के निर्माण में लगे मजदूरों के लिए कानूनी रूप से निर्धारित मजदूरी और सुरक्षित काम के हालातों की मांगों को लेकर अभियान शामिल हैं। यूएपीए के तहत होने वाले अन्याय को देखते हुए इस गैर-लोकतांत्रिक कानून को रद्द करने की मांग पीयूडीआर का एक अन्य अभियान है।

पीयूडीआर किसी भी राजनीतिक दल या पार्टी से सम्बद्ध नहीं है और यह इसके संविधान के तहत विशेष रूप से निषिद्ध है। यह अपने काम के लिए पैसा अपनी रिपोर्टों की बिक्री, सदस्यता शुल्क और समय समय पर अपने सदस्यों द्वारा दी गई सहयोग राशि से जुटाता है। यह किसी भी राजनीतिक दल, सरकार या संस्थानों से कोई धनराशि नहीं लेता है। अपनी फैक्ट-फाइंडिंग और अन्य कार्यकलापों के लिए इसके अपने सदस्य पैसों का योगदान देते हैं। अलग-अलग तरह के लोग और संगठन मानवीय अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं को लेकर पीयूडीआर के पास आते हैं, पर पीयूडीआर इन मुहूर्तों को उठाने का फैसला खुद करता है और इन पर अपने बलबूत पर काम करता है।

पीयूडीआर ने बिना झिझक किसी भी तरह के राजनीतिक विचारधारा वाले संगठन, पार्टी या समूह द्वारा लोगों के अधिकारों के हनन की निंदा की है – बार-बार सीपीआई-माओइस्ट द्वारा नागरिकों की हत्याओं की निंदा की है – बारा हत्याकांड (1992), झारखण्ड में एक रेल में बम विस्फोट (2009), पुलिस अफसर फाँसिस इन्डुवर की हिरासत में मौत (2009), जमुई हत्याकांड (2010), नरेंग कार्यकर्ता नियामत अंसारी की हत्या (2011), झारखण्ड की एक ग्राम सभा को धमकियां (2012), छत्तीसगढ़ में पत्रकार साई रेडी की हत्या (2013) आदि।

शुरूआत से ही पीयूडीआर ने मीसा, एनएसए, टाडा, पोटा और यूएपीए जैसे गैर-लोकतांत्रिक कानूनों का विरोध किया है और इन कानूनों से लोगों और समाज को होने वाले नुकसान का दस्तावेजीकरण किया है – इसलिए पीयूडीआर ने 1990 में श्री एल.के.अडवाणी के खिलाफ एनएसए के लगाए जाने, कांग्रेस नेता कल्पनाथ राय के टाडा के तहत दोषी ठहराए जाने (1997), तमिल नेता वैको की पोटा के तहत गिरफ्तारी (2002), बीजीपी के युवा नेता वरुण गांधी की एनएसए के तहत गिरफ्तारी, सिमी को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित करने आदि का विरोध किया है।

पीयूडीआर ने अपनी कोशिशों को उन लोगों के हितों के लिए केन्द्रित किया है जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती इनमें शामिल हैं – वे छुट-पुट अपराधी जो अक्सर दिल्ली में पुलिस हिरासत में यातनाओं, हत्याओं और बलात्कार का शिकार होते हैं, निर्माण मजदूर जो बेहद मामूली मजदूरी और अनिश्चित हालातों में जीते हैं या फिर असंगठित मजदूरों द्वारा दोषी ठहराए जाते हैं या जान से हाथ थोड़े बैठते हैं और जिन्हें मुआवजे या न्याय की कोई उम्मीद नहीं होती।

मानव अधिकार संगठनों को उन संगठनों की राजनीति से जोड़ने की कोशिश पहले भी होती रही है, जिनके मानवाधिकारों के हनन के मुद्दे वे उठा रहे हैं। जब पीयूडीआर और पीयूसीएल ने 1984 में सिखों के नरसंहार पर एक रिपोर्ट निकाली थी तो उसे कांग्रेस पार्टी से धमकियां मिली थीं और उसे खालिस्तानी संगठनों और उनकी राजनीति से जोड़ने का कुप्रयाप्त किया गया था। यह याद रखना ज़रूरी है की उस समय के पंजाब के मुख्य मंत्री ने सार्वजनिक रूप से, तथ्यों को सामने लाने और इस तरह राज्य में हिन्दुओं के खिलाफ जवाबी हिंसा को रोकने के लिए हमारे संगठन का धन्यवाद किया था।

हम जनवादी अधिकार के काम को करने में निहित खतरों से पूरी तरह अवगत हैं खास तौर पर तब, जब सत्ताधारी अपने कार्यकलापों द्वारा होने वाले नागरिक अधिकारों के हनन का विरोध करने वालों का मुहूर्त बंद करना चाहते हैं। पीयूडीआर विवेक में अपनी आशा को दोहराता है और यह आशा करता है कि लौकतांत्रिक संस्थान इस शर्मनाक कोशिश पर रोक लगाएंगे।

पीयूडीआर पुणे पुलिस द्वारा उसे कलंकित करने के अभियान की घोर निंदा करता है जिसमें हमारे वरिष्ठ सदस्य गौतम नवलखा और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं वरवरा राव, वर्नन गोंसालेस, सुधा भरद्वाज, और अरुण फेरोग की गिरफ्तारी शामिल है। पीयूडीआर इस कुअभियान पर तुरंत रोक लगाने की मांग करता है।

शर्मिला पुरकायस्था  
शहाना भद्राचार्या  
सचिव, पीयूडीआर

## मोदी सरकार ने देश की सम्प्रभुता को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने का पाप किया

गिरीश मालवीय की विशेष रिपोर्ट दिल्ली में पिछले दिनों भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू की बैठक सम्पन्न हुई है, इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी इस बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए थे।

इस बैठक में भारत का जोर मुख्यतः दो बातों पर था। पहला ये कि अमेरिकी नाराजगी को देखते हुए भारत ईरान से तेल नहीं खरीदें तो कहा जाए? दूसरा ये कि अमेरिकी आपत्तियों के चलते रूस से मिसाइल किया गया है।

भारत की विदेश मंत्री नाराजगी को देखते हुए भारत ईरान से तेल नहीं खरीदें तो कहा जाए? दूसरा ये कि अमेरिकी आपत्तियों के चलते रूस से मिसाइल किया गया है। लेमोआ या लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरांडम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics E&change Memorandum of Agreement :LEMO) और 'बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट' फॉर जियोस्पेटियल दोसरे के लिए एक एक्सचेंज को आपत्तियों के चलते रूस से मिसाइल किया गया है। इस बैठक में भारत की विदेश मंत्री नाराजगी को देखते हुए भारत ईरान से तेल मानवानी सहन करना पड़ रही है। और इस बैठक में भारत की विदेश मंत्री नाराजगी को देखते हुए भारत ईरान से तेल मानवानी सहन करना पड़ रही है।

लेमोआ या लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरांडम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics E&change Memorandum of Agreement :LEMO) और 'बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट' फॉर जियोस्पेटियल दोसरे के लिए एक एक्सचेंज को आपत्तियों के चलते रूस से मिसाइल किया गया है। इस बैठक में भारत की विदेश मंत्री नाराजगी को देखते हुए भारत ईरान से तेल मानवानी सहन करना पड़ रही है।

तो फिर चर्चा किस बात पर की गयी? और बैठक का नतीजा क्या निकला! यह भी समझ लीजिए। भारत ने अमेरिकी

दबाव में आकर इस बैठक में कम्पनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्युरिटी अग्रीमेंट (कॉम्पक्सा) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और मोदी सरकार की मांगों पर उसे ठेंगा दिखा दिया गया है।

अब यह कॉम्पक्सा का समझौता तो और अधिक खतरनाक है इसे पहले सिसमोआ (CISMOA) के नाम से जाना जाता था इस पर दस्तखत करने के बाद अमेरिका अपनी कम्पनियों द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों का समय समय पर निरीक्षण करने का हक्कदार होगा। यानी वह जब चाहे मांग कर सकता है कि जिन हथियारों पर अमेरिकी कॉम्पक्सा का नाम लिखा जाए तो क्योंकि जिसी समझौते की दूसरी कड़ी है। किसी देश पर अपना सम्पूर्ण प्रभाव जमाने के लिए अमेरिका तीन रक्षा समझौतों को आवश्यक मानता है इसी में से एक समझौता है कॉम्पक्सा (COMCAS) जो इस बैठक में किया गया।

दो अन्य समझौते हैं: लेमोआ या लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरांडम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics E&change Memorandum of Agreement :LEMO) और 'बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट' फॉर जियोस्पेटियल दोसरे के लिए एक एक्सचेंज को आपत्तियों के चलते रूस से मिसाइल किया गया है। इस बैठक में भारत की विदेश मंत्री नाराजगी को देखते हुए भारत ईरान से तेल मानवानी सहन करना पड़ रही है।